न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 511/2014

बउनवान

कन्हैयालाल पुत्र गोरधन उम्र 55 वर्ष जाति—धाकड
निवासी—गोरधनपुरा तहसील—बारां, जिला—बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**
3. सदस्य बेंच

राजस्व लोक अदालत निर्णय दिनांक 07.05.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 12.3.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—गोरधपुरा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 551 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 50/—रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में विद्यमान तथ्यों व दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में कब बेदखल किया गया पत्रावली में प्रमाण मौजूद नहीं है इसलिये अपीलांट पश्चात्‌वर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली छोड रखी है तथा तावान राशि जमा करायी जा चुकी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर राजस्व लोक अदालत में बैंच सदस्य की उपस्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है तथा अपीलांट भविष्य में कभी भी उक्त आराजी पर अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः लोक अदालत की भावना से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1166/12 निर्णय दिनांक 17.10.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति लोक अदालत की भावना को दृष्टिगत रखते हुये, सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 393/14 में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 12.3.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)